न्यायालय :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना संख्या :– 01ए/2021 (पुराना 55/2016)
प्रकरण दर्ज तिथि :– 15.02.2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार रायपुर		1. गोविन्दलाल पुत्र छोताराम कौम सिरवी निवासी देवली कलॉ तहसील रायपुर 2. नाथुसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति राजपुत निवासी देवली कलॉ तहसील रायपुर 3. अरविन्द कुमार पुत्र रामलाल जाति मालविय लौहार निवासी कुशालपुरा तहसील रायपुर

प्रार्थना बाबत् अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधियिम 1955
उपस्थित 1 तहसीलदार रायपुर उपस्थित
2 अप्रार्थीगण की ओर वकील श्री भुपेन्द्र सेन अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 15.06.2022

तहसीलदार रायपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्त. अधि. 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण यह हैं कि अप्रार्थीगण के नाम सरहद मौजा पिपलिया कलॉ पटवार हल्का पिपलिया कलॉ तहसील रायपुर जिला पाली के खसरा नंबर 432/2 रकबा 2 बिघा 12 बिस्वा किश्म चा. सो. दर्ज रेकर्ड है। जिसका नियमानुसार विभाजन नही हो रखा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी भी खातेदार को कृषि भूमि कृषि प्रयोजनार्थ कार्यो हेतु दी गई हैं खातेदार द्वारा कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृर्षि प्रयोजनार्थ उपयोग लिया जाने पर उक्त नियम के विपरित होने से खातेदार बेदखली योग्य है। पटवार हल्का पिपलिया कलॉ की रिपोर्ट अनुसार उक्त मौजा पिपलिया कलॉ के खसरा नबर 432/2 रकबा 2 बिघा 12 बिस्वा में से (नजरी नक्शें में दर्शाये अनुसार) भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा बिना संपरिवर्तन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त प्रार्थना श्रीमान के श्रवणाधिकार में हैं अतः प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण/खातेदारान को मौजा पिपलिया कलॉ के खसरा नंबर 432/2 रकबा 2 बिघा 12 बिस्वा में से 2 बिघा 12 बिस्वा किश्म चा.सो. की भूमि से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत बेदखल कर भूमि सिवाय चक घोषित कर बहक राज्य सरकार लिये जाने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

पत्रावली, पूर्व में प्रार्थना पत्र संख्या 55/2016 में दर्ज हुई थी। जिसमें तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 55/2016, का दिनांक 12.06.2019 को निर्णय किया, जिसमें उक्त भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी को राजस्थान सरकार के पक्ष में सिवाय चक घोषित करने के आदेश दिये गये थे। इस पर अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत, इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो स्वीकार होने से पुनः पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर नम्बर पर ली गई हैं।

इस पर प्रार्थी तहसीलदार रायपुर ने अपना जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पिपलियाकलां के खसरा नम्बर 432/2 रकबा 0.4209 है. किस्म चाही सोयम खातेदार गोविन्दलाल पुत्र छोता, सुवा पत्नि छोता, पूनमचन्द पुत्र रामधन, बीओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जातिगण सीरवी निवासी गरनिया के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज हैं। मौके पर खसरा नम्बर 432/2 के सम्पूर्ण रकबे पर लगभग 15 दुकानें, 12 मकान, कॉपरेटिव बैंक, दूध की डेयरी, ग्राम पंचायत भवन एवं परिसर बने हुए हैं। उक्त खसरे की भूमि के किसी भी हिस्से पर कृषि कार्य नहीं हो रहा हैं। गूगल शीट पर उक्त भूमि को चिन्हित किया हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता का उक्त जबाव की प्रति दी गई थी। अप्रार्थी अनुपस्थित हैं। अप्रार्थी को बार–बार आवाजे दिलाने के बावजूद अनुपस्थित हैं ऐसी स्थिति में एकतरफा बहस समायत की गई।

बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश जबाव एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा पिपलिया कलॉ पटवार हल्का पिपलिया कलॉ तहसील रायपुर जिला पाली के खसरा नंबर 432/2 रकबा 2 बिघा 12 बिस्वा किस्म चाही सोयम को मौके पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व सम्परिवर्तन के बगैर निर्माण कार्य किया जाने, एवं उक्त भुमि पर कृषि कार्य नही होने से, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 नियम का स्पष्ट उल्लंघन होने से एवं राज्य हित प्रभावित होने से उक्त भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी से राजस्थान सरकार के पक्ष में सिवाय चक घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पिपलिया कलॉ पटवार हल्का पिपलिया कलॉ तहसील रायपुर जिला पाली के खसरा नंबर 432/2 रकबा 2 बिघा 12 बिस्वा किस्म चाही सोयम को मौके पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व सम्परिवर्तन के बगैर निर्माण कार्य किया जाने, एवं उक्त भुमि पर कृषि कार्य नही होने से, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघन होने से एवं राज्य हित प्रभावित होने से उक्त भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी से राजस्थान सरकार के पक्ष में सिवाय चक घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थीगण के स्थान पर राज्य सरकार के नाम अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजस्थान सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)